

ई-डिस्ट्रिक्ट के अन्तर्गत जारी..



उत्तर प्रदेश शासन

उत्तर प्रदेश के पिछड़ी जाति के लिए जाति प्रमाण पत्र

जिला
तहसील
आवेदन क्र०
प्रमाणपत्र क्र०

आजमगढ़
सदर
181910030184336
613183020991

जारी दिनांक: 20/06/2018

प्रमाणित किया जाता है कि
पुत्र/पुत्री
माता का नाम
निवासी
ग्राम
तहसील
जिला

श्री शिव चन्द्र चौहान
स्व. किशोर चौहान
श्रीमती सलावती देवी
,ग्राम - बरहतिर जगदीशपुर, पोस्ट -
जहानागंज
बरहतिर जगदीशपुर
सदर
आजमगढ़



उत्तर प्रदेश राज्य की लोनिजा जाति के व्यक्ति हैं। यह उत्तर प्रदेश लोक सेवा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण अधिनियम १९९४ की अनुसूची एक के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त है। यह भी प्रमाणित किया जाता है कि श्री शिव चन्द्र चौहान पूर्वोक्त अधिनियम १९९४ (यथा संशोधित) की अनुसूची २ (जैसा कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण (संशोधन) अधिनियम २००१ द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है एवं जो उ०प्र० लोक सेवा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण (संशोधन) अधिनियम २००२ एवं शासनादेश संख्या 22/16/92 टी० सी०-III, दिनांक २० अक्टूबर २००८ द्वारा संशोधित की गई है, से आच्छादित नहीं है। इनके माता-पिता की निरन्तर तीन वर्षों की अवधि के लिये सकल वार्षिक आय आठ लाख रुपये या इससे अधिक नहीं है तथा इनके पास धन कर अधिनियम १९५७ में यथा बिहिप छूट सीमा से अधिक सम्पत्ति नहीं है।



जारी कर्ता केन्द्र: वीरेंद्र सिंह, सहज जन सेवा केन्द्र
पद: वीरेंद्र सिंह, केन्द्र प्रभारी
स्थान: बरहतिर
जगदीशपुर, सदर, BARAHATIR
JAGDISHPUR, जहानागंज, आजमगढ़
दिनांक: 24/06/2018
हस्ताक्षर एंव मुहर

HEMANT
KUMAR
GUPTA

Digitally Signed by
HEMANT KUMAR
GUPTA O=Personal
S=Uttar Pradesh

सक्षम अधिकारी/तहसीलदार
डिजिटल हस्ताक्षरित
सदर, आजमगढ़
दिनांक: 20/06/2018

यह प्रमाण पत्र इलेक्ट्रॉनिक सिगिचर सिस्टम द्वारा तैयार किया गया है तथा डिजिटल सिगिचर से हस्ताक्षरित है। सम्बन्धित केन्द्र के अधिकृत कर्मी द्वारा प्रमाणित किया